न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 94/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/205

निर्णय दिनांक 25.07.2024

छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ जाति नाथ निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू—राजस्व श्रीडूंगरगढ।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 776 तादादी 2.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 तादादी 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 तादादी 4.5700 हैक्टेयर रोही बापेऊ में स्थित है। वादी के पिता का नाम हेमनाथ है गिरधारीनाथ पुत्र चाँदनाथ के कोई पुत्र संतान नही होने के कारण वादी को गिरधारीनाथ द्वारा गोद लिया गया है। वादी के पिता एवं दत्तक पिता दोनो सगे भाई थे वादी के पिता हेमनाथ के स्वर्गवास के बाद जब विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ तो हेमनाथ की खातेदारी में वादी का नाम छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ दर्ज हो गया एवं बाद में वादी को गिरधारीनाथ के गोद चले जाने के उपरान्त गिरधारीनाथ के स्वर्गवास के बाद वादी का नाम छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज हो गया। वादगत खेतो में वादी के जन्मदाता पिता हेमनाथ की भूमि में नाम छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ दर्ज है एवं वादी के दतक पिता की भूमि में वादी का नाम छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज है । वादगत खेतो में वादी का विरास्तन नामान्तरण के अनुसार 1/2 हिस्सा में नाम छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ दर्ज है एवं 1/2 हिस्सा में छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज है एवं वादी के पहचान के दस्तावेजो में नाम छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज है। उक्त खेत वादी के हिस्से पांती आये हुए है जिन पर वादी का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि राजस्व रिकार्ड में वादी के खेतो के राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से में नाम छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ एवं 1/2 हिस्से में नाम छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज है जिसको वादी ने [illegible] से राजस्व रिकार्ड में एक नाम छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ पहचान [illegible] के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया [illegible] वादी के विरासत की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेतो व राजस्व रिकार्ड में [illegible] के पिता का नाम हेमनाथ एवं दतक पिता का नाम गिरधारीनाथ दर्ज है जिसको वादी छोटूनाथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पुत्र गिरधारीनाथ सही करवाने का अधिकारी है । वादी के खेतों के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का 1/2 हिस्सा में नाम छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ एवं 1/2 हिस्सा में नाम छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज होने एवं पहचान पत्र के दस्तावेज छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ के होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेतों पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेतों को विकसित करने से वचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ होने से वादी अपने खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेतों पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी के खेतो में 1/2 हिस्सा में नाम छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ एवं 1/2 हिस्सा में नाम छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है ।

वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है। तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी । उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया हैं स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही बापेऊ के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें।

(क) कि वादी खातेदारी के खेतों खसरा नम्बर 776 तादादी 2.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 तादादी 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 तादादी 4.5700 हैक्टेयर रोही बापेऊ में छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ हिस्सा 1/2, छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ हिस्सा 1/2 के स्थान पर छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ सम्पूर्ण हिस्सा घोषित किया जावें ।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेतों खसरा नम्बर 776 तादादी 2.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 तादादी 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 तादादी 4.5700 हैक्टेयर रोही बापेऊ में छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ हिस्सा 1/2, छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ हिस्सा 1/2 के स्थान पर छोटूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। वाद में इशू नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई । वादी की ओर से साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू–1 में मालनाथ व पीडब्ल्यू–2 में तारानाथ के शपथ पत्र पेश किये गये। वादी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

रा दस्तावेज प्रर्दश करवायें गये। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी की ओर पैरोकारराज ने बहस करतें हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार रोही ग्राम पेऊ के खसरा नंबर 776,777,778,779 छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ 1/2 हिस्सा जाति नाथ छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ हिस्सा 1/2 जाति नाथ रिकार्ड दर्ज है। पंजीकृत दनामा दिनांक 26.07.2010 के मुताबिक छोटूनाथ, गिरधारीनाथ के गोद गया हुआ है था छोटुनाथ के पचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड व पेन कार्ड में पिता का नाम गरधारीनाथ दर्ज है। उपस्थित लोगो ने बताया कि छोटूनाथ, गिरधारीनाथ के गोद या है तथा इसे गांव में छोटूनाथ दतकपुत्र गिरधारीनाथ के रूप में ही जाना जाता है तथा छोटूनाथ के पिता हेमनाथ के स्थान पर दतकपुत्र गिरधारीनाथ किया जाना सही है। लेकिन छोटूनाथ को 1/2 हिस्सा अपने पिता हेमनाथ की विरासत से प्राप्त हुआ है।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वादी वाद स्वीकार करनें का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तोवजो का अवलोकन किया। पंजीकृत गोदनामा दिनांक 26.07.2010 के मुताबिक छोटूनाथ, गिरधारीनाथ के गोद गया हुआ है तथा छोटुनाथ के पचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड व पेन कार्ड में पिता का नाम गिरधारीनाथ दर्ज है। छोटूनाथ को 1/2 हिस्सा अपने पिता हेमनाथ की विरासत से प्राप्त हुआ है। वादी अपने 1/2 हिस्से को जो विरासत से प्राप्त हुआ है को अपने दतक पिता के नाम से अपने राजस्व रिकार्ड में जरिये घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्त करवाना चाहता है। स्टेट को वादी वाद वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 776 तादादी 2.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 तादादी 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 तादादी 4.5700 हैक्टेयर रोही बापेऊ में छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ हिस्सा 1/2, छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ हिस्सा 1/2 के स्थान पर छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ सम्पूर्ण हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

(पी)ठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

(छो)टूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ जाति नाथ निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

(द)ावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

(म)ुकदमा नम्बर 94/2024

निर्णय दिनांकः 25.7.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास, कतई रूबरू अदालत वहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजूराम बाना एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 776 तादादी 2.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 तादादी 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 तादादी 4.5700 हैक्टेयर रोही बापेऊ में छोटूनाथ पुत्र हेमनाथ हिस्सा 1/2, छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ हिस्सा 1/2 के स्थान पर छोटूनाथ दतक पुत्र गिरधारीनाथ सम्पूर्ण हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 25 माह 07 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)